अध्याय 15

सतर्कता

वार्षिक रिपोर्ट 2018–19

सतर्कता

कार्य

कोयला मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठनों अर्थात् कोल इंडिया लि. (सीआईएल)/उसकी 8 सहायक कंपनियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मामलों के अलावा मंत्रालय में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है। मंत्रालय का सीवीओ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ), डीओपी एंड टी तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ सतर्कता मामलों पर मिल कर काम करता है।

संगठन में प्राप्त शिकायतों पर सीवीसी की 'कम्पलेंट हेंडलिंग पॉलिसी' के अनुसार कार्रवाई की जाती है और कंपनी के कर्मचारियों के सुग्राहीकरण हेतु शिकायतों की प्राप्ति से निपटान तक औचक जांच, नियमित जांच, गुणवत्ता जांच–अनुवर्ती जांच–पड़ताल एवं सीटीई किस्म की जांच जैसी पूर्व कार्रवाई, निवारण और दंडात्मक ढंग से कम्पलेंट ट्रैकिंग सिस्टम (सीटीसी) का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की जाती है।

सतर्कता अनुभाग में वर्ष 2018 (01.01.2018 से 31.12.2018 तक) के दौरान निपटा, गए सतर्कता संबंधी मामलों तथा लंबित मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

स्रोत	शुरुआती शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटान	शेष	अवधि–वार लंबित (महीना)			
						<1	1-3	3-6	>6
सीवीसी	3	6	9	7	2	0	0	0	2
अन्य	61	605	666	516	150	63	74	3	10

सतर्कता संबंधी लंबित मामलें एमपी, एमएलए तथा आम जनता द्वारा कोयला मंत्रालय, और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, सीएमपीएफओ और सीसीओ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति, विभिन्न निविदाएं प्रदान करने, कोयले की चोरी, मुआवजे के संबंध में भ्रष्टाचार आदि के संबंध में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

संगठन की संरचना

मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला नियंत्रक संगठन के सतर्कता स्कन्धों के सीवीओ प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। संगठन के बोर्ड स्तर से निचले अधिकारियों के सतर्कता मामलों की जांच संबंधित कंपनी के सीवीओ द्वारा की जाती है तथा बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में कंपनी के सीवीओ सीवीसी के परामर्श से तथ्यात्मक रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई हेतु मंत्रालय को भेजते हैं।

सतर्कता जागरूकता का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह ''भ्रष्टाचार मिटाओ–नया भारत बनाओ'' "Eradicate Corruption–Build a New India" नामक विषय पर दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक मनाया गया। इस जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता संबंधी मसलों पर जागरूकता सृजित करने के लिए मंत्रालय और सभी सहायक कंपनियों में भी कार्यशालाएं, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई।

समीक्षा/निगरानी तंत्र

सतर्कता मामलों तथा आईटी पहलों के कार्यान्वयन से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं। इस अवधि के दौरान चार (4) बैठकें हुई, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

क्र.स.	तारीख	स्थान	द्वारा समीक्षा की गई
1.	27.04.2018	नई दिल्ली	जेएस एंड सीवीओ, एमओसी
2.	22.11.2018	कोलकाता	जेएस एंड सीवीओ, एमओसी
3.	09.01.2019	नई दिल्ली	जेएस एंड सीवीओ, एमओसी
4.	22.02.2019	भुवनेश्वर	जेएस एंड सीवीओ, एमओसी